## महत्वपूर्ण एवं खास

### प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टोरेट सारंगढ़ में किया पौधारोपण

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** राजस्व, खेल एवम युवा कल्याण तथा जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टोरेट परिसर सारंगढ़ में पौधारोपण किया। इनके साथ साथ विधायक सारंगढ़ उत्तरी गनपत जांगड़े, कलेक्टर धर्मेश साहू, एसपी पुष्कर शर्मा,डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल ने भी पौधारोपण किया।

### प्रतिबंधित टेबलेट के साथ युवक गिरफ्तार

**रायपुर (आरएनएस)।** खम्हारडीह पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास 410 नग नाइट्रोटेन टेबलेट जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार खम्हारडीह पुलिस के टीम ने मुखबिर की सूचना पर हेरिटेज अस्पताल के पास आरोपी पंचम क्षतर 24 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 410 नग नाइट्रोटेन टेबलेट जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 3 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

### अफीम के साथ युवक गिरफ्तार

**रायपुर (आरएनएस)।** तेलीबांधा पुलिस ने गुरूनानक नगर श्यामनगर में अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 किलो 210 ग्राम अफीम जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार तेलीबांधा पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक अफीम खपाने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी सुंदर सिंह 30 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास रखे थैले से 3 किलो 210 ग्राम अफीम व नकदी 3 लाख 23800 रुपए जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

### कोल घोटाला के आरोपियों की बढ़ी न्यायिक रिमांड

**रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाला मामले में आरोपियों की न्यायिक रिमांड 11 दिन और बढ़ाकर भेज भेज दिया गया है। ईओडब्लयू ने वसूली करने वाले जायसवाल भाईयों और अन्य पांच से पूछताछ करने के बाद विशेष कोर्ट में पेश किया था। इधर निलंबित अफसरों रानू साहू और सौम्या चौरसिया जेल से भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुई। वहीं समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य सभी कोर्ट में कोर्ट पेश किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 12 जुलाई तक जेल भेज दिया है।

### राइज एंड शाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम साय

**रायपुर (आरएनएस)।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 02 जुलाई मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले राइज एंड शाइन विद जया किशोरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता सुजया किशोरी अपना व्याख्यान देंगी। कार्यक्रम शाम 7 बजे दो मीडिया संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है।

### घर से नकदी व जेवर पार

**रायपुर (आरएनएस)।** ग्राम सांकरा स्थित दुकान व घर में प्रवेश कर अज्ञात चोर ने नकदी एवं सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। प्रार्थी की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी यशवंत ढेबर 25 ग्राम सांकरा का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपने घर में हार्डवेयर दुकान चलाता है। बताया जाता है कि अज्ञात चोर ने प्रार्थी के घर में प्रवेश कर नकदी एवं सोने-चांदी का जेवर पार कर दिए। चोरी गए जुमला कीमती करीब 80 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

# 100 किलो से अधिक गैस के इस्तेमाल वाले हॉटल-संस्थानों को लेना होगा विस्फोटक सुरक्षा संबंधी लाइसेंस

- गैस सिलेण्डर की डिलीवरी के साथ उपभोक्ता को रसीद भी उपलब्ध कराएं कंपनियां
- सिलेण्डर आपूर्ति कर्ता वाहन-ड्राइवर सहित पूरी जानकारी खाद्य अधिकारी को देनी होगी
- कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय और निजी क्षेत्र की पेट्रोलियम वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की बैठक

**रायपुर | आरएनएस**

घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर आज इस संबंध में जिले की शासकीय एवं निजी गैस वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर ने बैठक की अध्यक्षता की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में गैस वितरण कंपनियों को सुरक्षा के निर्धारित सभी मानकों का पूरी तरह पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। इसी तरह कंपनियों को उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी सहुलियतों के लिए जरूरी सभी इंतजाम भी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में अपर कलेक्टर ने घरेलू एवं व्यासायिक गैस उपभोक्ता को सिलेण्डर डिलीवरी करने पर उसकी रसीद भी अनिवार्यत: देने के निर्देश दिए ताकि रिकॉर्ड संधारित किया जा सके और विपरित परिस्थितियों में उसकी पहचान आसानी से की जा सके। इसके साथ ही अपर कलेक्टर ने जिले के सभी व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा उपभोक्ता कार्ड भी अनिवार्यत: जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यावसायिक रूप से गैस की आपूर्ति करने पर कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया जाए। कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज नहीं करने पर गैस की आपूर्ति अवैध मानी जाकर संबंधित कंपनी के प्राधिकारी और वितरक के साथ-साथ उपयोग कर्ता के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी गैस वितरकों से पिछले चार महीनों में व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी संबंधी लिखित जानकारी भी वितरकों से तलब की है। बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों सहित रायपुर जिले में कार्यरत सरकारी गैस कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कंपनी सहित समांतर निजी गैस कंपनी के प्रतिनिधि थे।

एक सौ किलो एलपीजी रखने वाले हॉटल-संस्थानों को लेना होगा लाइसेंस- रायपुर जिले में एक सौ किलो या उससे अधिक एलपीजी गैस के सिलेण्डर एक साथ रखने वाले हॉटल-व्यावसायिक संस्थानों को अब सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस लेना होगा। कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर ने आज पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए।

राठौर ने कहा कि 100 किलो से अधिक द्रवीकृत गैस के सिलेण्डर एक साथ रखने वाले संस्थानों- होटलों के पास विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पेट्रोलियम कंपनी और वितरक दोनां संबंधित संस्था/होटल के विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस की एक प्रति भी अपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इसकी आकस्मिक जांच कराई जाएगी। बिना लाइसेंस के एक सौ किलो या उससे अधिक एलपीजी एक साथ रखने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

गैस डिलीवरी करने वाले वाहन, ड्राइवर आदि की जानकारी खाद्य विभाग को देनी होगी- बैठक में अपर कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि सभी गैस कंपनी-डीलर्स आगामी 15 दिनों में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाले वाहनों के नंबर, ड्राइवर का नाम, वाहन का इंश्योरेंस, वाहन में लगे अग्निशामक यंत्र की नाप तौल विभाग से स्टेंपिंग की जानकारी खाद्य विभाग को लिखित रूप से उपलब्ध कराएं। हर वाहन में वजन तौलने की मशीन अनिवार्य रूप से रहे। उपभोक्ता को देने से पहले सिलेण्डर की तौल कर देना सुनिश्चित करें। सभी गैस एजेंसी अपने गोडाउन का पता और कार्यरत कर्मचारी का नाम और नंबर भी अनिवार्य रूप से खाद्य अधिकारी को प्रदान करें। पेट्रोलियम कंपनी द्वारा रायपुर जिले में गैस डीलर की जांच नियमित समय पर की जाए और जांच रिपोर्ट की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा को उपलब्ध कराएं।

## राजस्व के 2 मिनट के काम के लिए 6 माह तक घुमाना नहीं है: राजस्व मंत्री वर्मा

- प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने सारंगढ़ में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक ली

**सारंगढ़ बिलाईगढ़**

राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को कहा कि सभी अधिकारी जिले के विकास के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य करें। सभी नागरिकों का नियम अनुसार कार्य करे। ऐसा काम करें कि आपके रिटायरमेंट के बाद लोग आपके काम की वजह से याद करें। उन्होंने कहा कि राजस्व के 2 मिनट के कार्य को 6 माह तक घुमाने नहीं हो। राजस्व कार्यों में गति लाएं। आगामी 5 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक राजस्व पखवाड़ा किया जाएगा, जिसमें सभी राजस्व कार्यो का निराकरण किया जाए। कलेक्टर धर्मेश साहू ने मंत्री वर्मा को बताया कि जिले में पंचायत सचिव के माध्यम से गांव में ग्रामीणों के जितने राजस्व प्रकरण होंगे, उनके माध्यम से तहसीलदार कार्यालय में जमा होंगे, जिसका मॉनिटरिंग कलेक्टर स्तर पर किया जाएगा, जिससे जिले के राजस्व कार्यों के निपटारा शीघ्र होगा। बैठक में मंत्री वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि जिले में अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अपराध रोकवाएं। उन्होंने कहा कि अपराध किसी का भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। अपराध, अपराध होता है, उसके विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

प्रभारी मंत्री वर्मा ने सभी स्कूलों, छात्रावास भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के जर्जर भवनों की सूची मांगी और जो मरम्मत कार्य हो रहे उसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वर्मा ने सड़क, पुल-पुलिया जैसे बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए सभी निर्माण अधिकारियों को निर्देशित किया। वर्मा ने विभागीय योजनाओं नल जल योजना, महतारी वंदन, सौर सुजला योजना, पीएम विश्वकर्मा, मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम उज्ज्वला योजना आदि के जिले की स्थिति की जानकारी ली और प्रगति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

श्री वर्मा ने स्कूल शिक्षा अधिकारी को जिले में शिक्षकों की रिक्त सूची मांगी। उन्होंने कहा कि अपने स्कूलों को अपडेट करें। स्कूलों तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण का कार्य पीएम ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क आदि के माध्यम से किया जाए ताकि पहुंच सुलभ हो। उन्होंने कहा पटवारी कार्यालय के लिए भवन निर्माण कराएं ताकि पटवारी वहां रहकर किसानों का कार्य करें। अवैध प्लाटिंग, बिक्री और नामांतरण पर शीघ्र रोक लगाएं। परिसीमन के मामले में मंत्री वर्मा ने कहा कि वार्ड नहीं बढ़ेगा, जो एरिया कट गया था उस एरिया को परिसीमन अंतर्गत जोड़ना है। इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ उत्तरी गनपत जांगड़े, कलेक्टर धर्मेश साहू, एसपी पुष्कर शर्मा, परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान, एसडीएम अनिकेत साहू, डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल सहित जिले के अधिकारी उपस्थित थे।

## बिजली कर्मचारी महासंघ ने तकनीकी कर्मचारियों के 12 घंटे कार्य दिवस को लेकर सौंपा ज्ञापन

**कोरबा | आरएनएस**

महासंघ कोरबा वृत्त के प्रतिनिधियों ने अधीक्षण अभियंता के नाम सहायक अभियंता ममता रायए कार्यपालन अभियंता शहर संभाग एनण्एलण् पटेल तथा कोरबा ग्रामीण संभाग के कार्यपालन अभियंता बीण्बीण् नेताम को ज्ञापन सौंपा।

जानकारी के अनुसार प्रमुख रूप से उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट विद्युत सप्लाई प्रदान करने हेतु 33ध्11 केवी सबस्टेशन में व्याप्त समस्याओं एवं कर्मचारियों की मांगों एरियर्स राशिए एडिशनल वेजेसए पुनर्पदांकन व पदोन्नति प्रक्रिया का अविलंब निराकरण करने तथा वर्तमान में सबस्टेशन ऑपरेटरों के बीते 10 दिन से हड़ताल में जाने पर नियमितध्संविदा कर्मियों से बिना साप्ताहिक अवकाश दिए लगातार 12 घंटे के स्थान पर 8 घंटे कार्य लिए जाने के विषय पर सकारात्मक चर्चा की गई।

इस दौरान महासंघ से नवरतन बरेठ प्रदेश महामंत्रीए वरिष्ठ मार्गदर्शक अजय श्रीवास्तवए महिला प्रतिनिधि सीमा खलखोए रजनी ओगरेए कामिनी साहूए जेसु रत्नमए हरिश राठौरए उमेश यादवए सुमंत चौहानए जोगेन्दर तथा यशवंत राठौर सचिव एवं प्रदेश मंत्री आदि उपस्थित रहे।

## प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने महिलाकर्मी को तत्काल दिलावाया सीआर

**सारंगढ़ बिलाईगढ़**

जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने पिछले 8 माह से सहायक आयुक्त आशीष बनर्जी से गोपनीय प्रतिवेदन पाने भटक रही महिलाकर्मी को सीआर (गोपनीय प्रतिवेदन) समीक्षा बैठक के बाद तत्काल दिलवाया। आदिवासी विकास शाखा बलौदा बाजार में पदस्थ सुक्रिता साहू सहायक ग्रेड-3 प्रमोशन पाने अक्टूबर 2023 से दफ्तर-दफ्तर भटक रही थी। आवेदिका ने बताया कि मामले में आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्राचार का भी अधिकारी पर कोई प्रभाव नही पड़ा। मंगलवार को जिले में मंत्री दौरा के दौरान महिला पहुंची और रोते हुए अपनी आप बीती मंत्री को बताया। जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए महिला को बंद लिफाफे में तत्काल गोपनीय प्रतिवेदन सौंपा। महिला सीआर पाकर खुश हुई।

## मंत्री वर्मा ने डायरिया नियंत्रण रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

**सारंगढ़ बिलाईगढ़**

जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा और कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्टोरेट सारंगढ़ में डायरिया नियंत्रण रथ का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

1 जुलाई से प्रारंभ हुई स्टॉप डायरिया अभियान अंतर्गत डायरिया के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य, पंचायत, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नगरीय प्रशासन विभाग के समन्वय के साथ जिले में आयोजित की जा रही है। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के मध्य ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों वाले घरों में ओ आर एस पैकेट तथा जिंक टैबलेट उपलब्ध कराकर दस्त के दौरान प्रयोग हेतु पालकों को प्रशिक्षित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में प्रभावी असर हेतु जिले में डायरिया नियंत्रण रथ प्रचार सामग्री से सजी एवं ऑडियो सिस्टम से लैस है। यह रथ जिले में घुम- घुम कर लोगों को डायरिया से बचने हेतु जागरूक करने का कार्य करेगी। इस रथ के माध्यम से ग्रामीण लोगों डायरिया बीमारी के प्रति जागरूक कर बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। डायरिया के समय टैबलेट जिंक और ओआरएस के महत्व को समझाएगी। साथ ही लोगों को हाथ धोने की तकनीक दिखाकर लोगों में हाथ धोने के प्रथा को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उतरी गणपत जांगडे, कलेक्टर धर्मेश साहू, एसपी पुष्पक शर्मा, परियोजना निर्देशक हरिशंकर चौहान सीएमएचओ डॉ अवधेश पाणिग्राही,बीएमओ डॉ सिदार, ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक एन एल इजारदार अवम् जिला प्रशासन के अधिकारी सहित सभी विभाग के जिला प्रमुख उपस्थित थे।

## तुरमा में डायरिया के मिले 82 मरीज, खबर मिलते ही गांव पहुंचा जिला प्रशासन

- लापरवाही बरतने के चलते पटवारी, पीएचई सब इंजीनियर को नोटिस एवं सचिव को किया गया निलंबित

**रायपुर। आरएनएस**

बलौदाबाजार विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुरमा में डायरिया के 82 मरीज मिले है। डायरिया के बढ़ते मामले को देखते हुए आज कलेक्टर दीपक सोनी ने तुरमा पहुंचकर गांव के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य शिविर का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई को 76 मरीज एवं 2 जुलाई 41 मरीजों का चिन्हांकन किया गया। जिसमें से वर्तमान में 82 एक्टिव मरीज है। उक्त मरीजों में 17 को जिला अस्पताल एवं 16 को सामुदायिक केन्द्र लवन में भर्ती किया गया है। जबकि अन्य मरीज गांव के हाट बाजार क्लीनिक भवन में स्वास्थ्य शिविर में इलाज कराने आ रहे हैं। ग्रामीणों का प्राथमिक इलाज करने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने गंभीर नाराजगी जताते हुए ग्राम पटवारी तुलसीराम बर्मन,पीएचई सब इंजीनियर के.आर.पैकरा को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही ग्राम के सचिव राजपाल कोसले के अनुपस्थित रहने के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विकासखंड चिकित्सा अधिकारी के प्रति भी नाराजगी जताते हुए उनके छुट्टी को निरस्त करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए है। तुरमा में जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने सबसे पहले हाट बाजार क्लीनिक में संचालित स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे। भर्ती मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत कर उचित दिशा-निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर ने मरीजों एवं उनके परिजनों से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में जागरुकता के लिए काम करने को कहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिनों को डोर टू डोर जाकर जानकारी लेने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान कलेक्टर स्वयं गांव के पानी टंकी पर चढक़र सफाई संबंधित जायजा लिया।

कलेक्टर सोनी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट जल्द देने एवं स्वच्छ पानी आमजनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने गांव में डायरिया के एकाएक अधिक संख्या में मरीज मिलने के कारण को जांच कराने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

**Social Justice Union**

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

**अधिकार से न्याय तक**

**आवश्यकता**

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छतीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

**उद्देश्य एवं नियुक्तियां**

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

**मुख्य बिन्दु**

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

**पीड़ित संपर्क करें**

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

**अन्य बिन्दु**

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छतीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

## छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग - मुख्यमंत्री साय

- सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल शुभारंभ

**रायपुर | आरएनएस**

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी क्रम में आज निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न क्लीयरेंस और स्वीकृतियां त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया गया है। प्रशासनिक दखल कम कर प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने के लिए यह बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल उद्यमियों के लिए अत्यंत आसान और उपयोग करने में सुगम होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज यहां अपने राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में संसाधनों के विपुल भंडार है और औद्योगिक विकास के भी असीम अवसर उपलब्ध हैं। उद्योग विभाग की इस नई व्यवस्था से सभी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान होने से निवेश में उनकी रुचि बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। व्यवसायियों को आवश्यक विभागीय अनुमति-सहमति और क्लीयरेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही अलग-अलग विभागों में आवेदन करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी गई है और उन पर आवेदनों के समय पर निराकरण की जवाबदेही भी होगी। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर इसकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी व्यापारियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे समय पर आवेदनों का निराकरण होगा और आवेदक सिंगल क्लिक पर अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जान पाएंगे। वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। आवेदक को एक बार ही लॉगिन करना होगा और दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी विभाग द्वारा यदि कोई जानकारी मांगी जाएगी तो आवेदक लॉगिन कर इसके बारे में जान पाएंगे। उन्होंने बताया कि अब किसी भी कार्यालय से ऑफलाइन मोड में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सचिव आनंद ने बताया कि ई-चालान के माध्यम से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। नई सुविधाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब किसी भी उद्योग को लगाने से पूर्व किन-किन विभागों से अनुमति की आवश्यकता होगी, यह जानकारी भी पोर्टल में उपलब्ध कराई गई है।